



2026:AHC:27926

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3418/2026

करन

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : आनंद पति तिवारी

विपक्षी के अधिवक्ता : अखिलेश कुमार, सरकारी अधिवक्ता

कोर्ट नंबर- 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. श्री अकिहिलेश कुमार, विद्वान अधिवक्ता ने प्रथम शिकायतकर्ता/पीड़ित की ओर से आज न्यायालय में संक्षिप्त प्रतिवाद हलफनामा दाखिल किया है, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है।

2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि समय बीतने के साथ, गवाह, जो आवेदक का भाई है, ने आवेदक से पीड़िता के साथ विवाह संपन्न करने के संबंध में बात की है और आवेदक ने उसे बताया है कि वह पीड़िता के साथ विवाह संपन्न करने के लिए तैयार है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि आवेदक और पीड़ित का परिवार, जिसमें पीड़ित/शिकायतकर्ता भी शामिल है, विवाह संपन्न करने के लिए तैयार हैं। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर अदालत के समक्ष हाजिर होगा तथा अदालत द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक 29.11.2025 से जेल में बंद है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि मुकदमे से पहले के चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

5. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार ने शिकायतकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता/पीड़िता और उसके पिता दोनों ने हलफनामा दिया है और वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तथा जमानत याचिका का विरोध नहीं करते। इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, साक्ष्यों की प्रकृति और मामले से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। अतः जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) और पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 5जे(2)/6 के तहत मामला संख्या 441/2025 में आरोपी **करन** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो भारी स्थानीय जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
- v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

9 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"